



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01122022-240698
CG-DL-E-01122022-240698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5338]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2022/अग्रहायण 10, 1944

No. 5338]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2022/AGRAHAYANA 10, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.आ. 5570(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 15 के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से सलाह करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में, क्रमांक संख्या 91 के पश्चात् “डिग्री” उप-शीर्षक के तहत और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के लिए निम्नलिखित क्रमांक संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, नामतः:-

1	2	3
“92. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी वर्ष 2016-17 के दौरान पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा संकाय कृषि विज्ञान संस्थान राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा में भर्ती छात्रों के संबंध में।	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक	बी.वी.एससी. और ए.एच. (यह अर्हता मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता के रूप में केवल तभी मान्य होगी जब इसे 8 जून, 2022 को या उसके पश्चात् 13 जून, 2022 तक प्रदान किया गया हो।)

[फा. सं. के-12052-1/1/2017-एलएचई-4738]

उपमन्यु बसु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2022

S.O. 5570(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following amendment in the FIRST SCHEDULE to the said Act:—

In the First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984, under sub- heading “Degrees” after serial number 91 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely:-

1	2	3
“92. Banaras Hindu University, Varanasi in respect of students admitted in Faculty of Veterinary and Animal Sciences, Institute of Agricultural Sciences, Rajiv Gandhi South Campus Barkachha during the year 2016-17	Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry.	B.V.Sc. and A.H (This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after 8th June, 2022 up to 13th June, 2022.

[F. No.K-12052-1/1/2017- LH E – 4738]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.